



## कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/सी0डी0-05(2017-18)

854

दिनांक: 28.2.18

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
हजारीबाग।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा," उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड सरकार का पत्रांक-29/बी0टी0ई0-12/2016-17 /113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 एवं पत्रांक 29/बी0टी0ई0-04/2017-18 /588/बजट राँची, दिनांक 29.12.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा," उपशीर्ष के 13-देशीय यात्रा व्यय इकाई में 0.50 लाख रु0 एवं 42-मोटरगाड़ी, इंधन एवं मरम्मत इकाई में 0.50 लाख रु0 की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/बी0टी0ई0-12/2016-17 /113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017, पत्रांक 29/बी0टी0ई0-04/2017-18 /588/बजट राँची, दिनांक 29.12.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BHAEDP/01-17-18/45EDP की प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0-यथो0।

विश्वासभाजन,

2-2/2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।





## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BHAEDP/01-17-18/45EDP

दिनांक - 28-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101010213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय यात्रा भत्ता Establishment Expenditure	101330	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	50,000.00 रुपये पचास हजार



State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

2	S 19 240601101010442 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत Establishment Expenditure	101334	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	50,000.00 रुपये पचास हजार
---	---	--------	---	------------------------------



State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

योग: 100,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख

(SANJAY KUMAR)

Principal, Ranchi  
PCCF, JHARKHAND, RANCHI